

१०
गोपनीय / अत्यावश्यक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक/राम/गोप/परिपत्र पत्रा./2013 ३६९-७३

दिनांक:- १६।५।१९

जिला कलकटर, समस्त
आयुक्त, भू.प्रबन्ध विभाग जयपुर/उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
सचिव, विकास प्राधिकरण अजमेर/जयपुर/जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी समस्त

विषय:- आपके विभाग के अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार एवं
अन्य) की अचल सम्पत्ति विवरण के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.
13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.18 एवं परिपत्र प.13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र.
/2011 दिनांक 13.3.19 द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार एवं अन्य) को
अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर मे IPR MODULE द्वारा Online स्वयं द्वारा भरी जाने
बाबत निर्देशित किया गया था। इस क्रम मे कार्मिक विभाग द्वारा जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा
अपना अचल संपत्ति विवरण IPR Online नही किया है उन अधिकारियों को वेतन
वृद्धि/पदोन्नति/विज़ीलेंस क्लीयरेंस पर विचार नही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः इस
क्रम मे आपके विभाग के पदस्थापित समस्त राजपत्रित अधिकारी(तहसीलदार एवं अन्य) की वेतनवृद्धि
स्वीकृत करने से पूर्व कार्मिक विभाग के परिपत्र मे दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से
सुनिश्चित करावे।

भवदीया,

(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

३६९-७३
१६।५।१९

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1-संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर

2-अतिरिक्त निबन्धक, (रातस) / (प्रशासन) / (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

3-उपनिबन्धक, (विभागीय जांच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

4-संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल अजमेर को संबंधित विभाग को ई-मेल ^{ए० मौजूदा ने बोनसर्ट पर अप्लाय दूँ} करने हेतु

अति.निबन्धक(गोपनीय)

राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर